न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 119/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– भेरू सिह पुत्र रूप सिह 2– हीर सिह पुत्र अगर सिह 3– भंवर सिह पुत्र कान सिह 4– छैल सिह पुत्र खानु सिह सभी जाति पुरोहित निवासीगण बान्द्रा तहसील एवं जिला बाडमेर		1– चिमाराम 2– मुकनाराम 3– भंवराराम 4– बालाराम 5– रेवन्ताराम सभी पुत्रगण खुमाराम जाति माली निवासीगण उतरलाई तहसील व जिला बाडमेर 6– अजब सिह पुत्र खानु सिह 7– कस्तुर सिह पुत्र रूप सिह 8– श्रीमती गीगादेवी पत्नी रूप सिह सभी जाति पुरोहित निवासी बान्द्रा तहसील बाडमेर जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 28–12–2015 जो उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा मुकदमा संख्या 45/2003 मे पारित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री वरूण गोयल अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 5 की ओर से ।
3– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 26–9–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र वास्ते तरमीम दुरस्ती का पेश कर कथन किया कि ग्राम ढूण्ढा (उतरलाइ) के मूल खसरा नंबर 4 मे 437 बीघा भूमि अपीलांटगण की पुश्तैनी भूमि थी उसमे से 48 बीघा भूमि का बेचान वर्ष 1977 मे रेस्पो0 संख्या 1 से 5 के हक मे किया गया था जिसका नामांतरकरण संख्या 256 दिनांक 18–12–1977 को स्वीकृत हुआ तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की भूमि का खसरा नंबर 4/13 बना तथा राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद हो गया जिस पर प्रार्थीगण (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 5) को कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा पक्की रहवासीय ढाणियां बनी हुई है परंतु राजस्व नक्शे मे तरमीम करते वक्त गलती से गुरूद्वारा की कुछ भूमि प्रार्थीगण के उपरोक्त खसरे मे बता दी गई जबकि वास्तव मे गुरूद्वारे की भूमि का कोई भाग मौके पर प्रार्थीगण के उपरोक्त 48 बीघा रकबे की भूमि मे नही आता है । मौके पर प्रार्थीगण के रकबे की भूमि एवं गुरूद्वारा की भूमि मौजुद है यदि मौके के अनुसार रेकर्ड मे दुरस्ती की जाती है तो गुरूद्वारा की भूमि के किसी भू भाग या अन्य

किसी व्यक्ति का कोई रकबा प्रभावित नही होगा परंतु यदि तरमीम सही नही की जाती है तो प्रार्थीगण को अपने खातेदारी हकूको पर भारी कुठाराघात होने की संभावना है इसलिए तरमीम दुरस्ती की जाना आवश्यक है ।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–12–15 के द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए ग्राम उतरलाई तहसील बाडमेर के खसरा नंबर 197/4 (नवीन खसरा नंबर) की विद्यमान तरमीम को निरस्त कर तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक भूअ/4618 दिनांक 3–9–2010 के सलंग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश पारित किये जाते है, उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बाडमेर को तदनुसार दुरस्ती सुनिशचित करने हेतु आदेशित किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–12–15 से व्यथित होकर वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत हुई है ।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बाडमेर के पत्र दिनांक 3–9–2010 के सलंग्न मौजा उतरलाई के खसरा नंबर 4/13 वर्तमान खसरा नंबर 197/4 के संबंध मे प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संबंध मे आपत्ति प्रकट करते हुए कथन किया कि उक्त मौका रिपोर्ट बिना अपीलांटगण की उपस्थिति मे एकतरफा तैयार की जाकर प्रस्तुत की है इसलिए दुबारा मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन निर्णय के साथ ही यह उल्लेख करते हुए खारीज कर दिया कि उक्त प्रार्थना पत्र 5 वर्ष के विलंब से पेश किया गया है तथा प्रकरण को लंबा करने के आशय से पेश किया गया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि मौजा उतरलाई के खसरा नंबर 4/13 हाल खसरा नंबर 197/4 रकबा 48 बीघा भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को वर्ष 1977 मे किया गया था उसके पश्चात उनके खेत मे से सरकारी सडक निकलने से उनकी 5 बीघा भूमि जा चुकी है फिर भी अपार्थी संख्या 1 से 5 के हक मे अपीलाधीन निर्णय के द्वारा पूरी 48 बीघा भूमि दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है जबकि सडक का रकबा 5 बीघा कम करने से 43 बीघा भूमि ही उनके खाते मे रहती है तथा यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने सडक मे छोडी गई भूमि के संबंध मे मुआवजा राशि भी प्राप्त की थी परंतु इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर

प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान की उपस्थिति मे नये सिरे से मौका रिपोर्ट तैयार कर उसके अनुरूप नये सिरे से निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 से 5 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि हमने मौजा उतरलाई के खसरा नंबर 4/13 हाल खसरा नंबर 197/4 की 48 बीघा भूमि क्रय की थी उस समय मौके पर सडक चल रही थी परंतु नक्शे मे तरमीम नही था तथा यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने मौके पर चल रही सडक का रकबा छोडते हुए भूमि खरीद की थी परंतु पटवारी ने गलत तरमीम कर दी जिसे दुरस्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट तलब कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता ने कथन किया कि रेस्पो0 की खरीदसुदा भूमि कभी अवाप्त नही हुई और न ही कोई मुआवजा रेस्पो0 ने प्राप्त किया है तथा कथन किया कि रेस्पो0 की खरीदसुदा भूमि पुराने खसरा नंबर 4/13 जिसके वर्तमान खसरा नंबर 197/4 है, उस पर रेस्पो0 की रहवासीय ढाणियां बनी हुई है तथा कथन किया कि रेस्पो0 के भूमि की तरमीम सडक के एक तरफ दर्शाई हुई थी जबकि भूमि सडक के दोनो तरफ आई हुई है तथा दोनो को मिलाने पर रेस्पो0 के भूमि का रकबा पूरा होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन भूमि की मौका रिपोर्ट तहसीलदार बाडमेर से तलब की जाने पर प्रस्तुत विस्तृत मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0गण के खातेदारी की भूमि की पूर्व मे की गई गलत तरमीम के कारण अपीलाधीन भूमि का एक भाग खालसा कर दिया गया जो न्यायालय के आदेश से पुनः खातेदारी मे दर्ज किया गया तब रेस्पो0 संख्या 1 से 5 का रकबा पूरा हुआ इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गौरपूर्वक मनन किया, उनके तर्को, दलीलो पर चिंतन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–12–2015 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध रेकर्ड का भी अवलोकन किया । वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 5 के पक्ष मे सरहद मौजा ढूंढा वर्तमान ग्राम उतरलाई तहसील

बाडमेर के मूल खसरा नंबर 4 कुल रकबा 437.10 बीघा भूमि मे से रेस्पो0 संख्या 1 से 5 के पक्ष मे 48 बीघा भूमि का रजिस्टर्ड बेचान अपीलांटगण के पूर्वजो द्वारा वर्ष 1977 मे किया जाना अपीलांटगण स्वयं स्वीकार करते है तथा उक्त बेचान के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 से 5 का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुआ तथा बट्टा नंबर 4/13 पडा जिसके वर्तमान खसरा नंबर 197/4 है ।

प्रस्तुत अपील मे अपीलांटगण का यह कथन कि रेस्पो0गण संख्या 1 से 5 की खरीदसुदा 48 बीघा भूमि मे से 5 बीघा भूमि अप्रार्थीगण के खेत के मध्य से निकाली गई सडक मे चली गई तथा उसके बदले रेस्पो0गण द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान भी प्राप्त किया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अथवा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेज या सबूत रेकर्ड पर उपलब्ध नही है जिससे अपीलांट अधिवक्ता के कथनो की पुष्टि होती हो ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0गण सख्या 1 से 5 द्वारा प्रस्तुत तरमीम दुरस्ती के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बाडमेर से मौके की वस्तुस्थिति रिपोर्ट की जानकारी तलब की जाने पर तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्र क्रमांक 4618 दिनांक 3–9–2010 के सलंग्न मौजा उतरलाई के खसरा नंबर 4/13 वर्तमान खसरा नंबर 197/4 की फर्द मौका, नक्शा व जमाबंदी आदि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर को प्रस्तुत की, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है, जिसमे स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वर्तमान रेस्पो0गण द्वारा खरीदी गई भूमि की इनके कब्जें अनुसार लट्ठा ट्रेस मे तरमीम करने का आदेश पारित किया जाता है तो इनका कोई विवाद नही रहेगा ।

अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बाडमेर की उक्त रिपोर्ट के आधार पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही समझते है । परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 26–9–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर